प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 27.09.2023 को न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विवादित आराजी पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें से पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जबाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त सम्पूर्ण आराजी का मनबट के आधार पर हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है और काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उभयपक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.2771 है0 व खसरा नम्बर 355 रकबा 1.1507 है0 वाके ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया पटवार हल्का रामसरपालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के हक में सिद्ध होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>— आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>— चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.2771 है0 व खसरा नम्बर 355 रकबा 1.1507 है0 का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं दखलंदाजी नहीं करे ना ही दीगर से करावें, ना ही रास्ते का बन्द करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.) सत्यमेव जयते